INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP37360865653909X

e-Stamp

19199/25

Acc Name- Abhay Kumar Pandey
Acc Code- UP14807004
Licence No- 34
Collectorate, Gorakhpur (U.P.)
Mobile-7310583746

Certificate No.	:	IN-UP37360865653909X
Certificate Issued Date	:	12-Nov-2025 01:21 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14807004/ GORAKHPUR SADAR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14807004711999395629277X
Purchased by	:	RANA DILEEP CHANDRA SINGH K M D V P GORAKHPUR
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	MAUJA BALUA TAPPA PACHWARA PARGANA HAVELI TEHSIL SADAR DIST GORAKHPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DILEEP KUMAR SINGH S O AGAR NATH SINGH
Second Party	:	RANA DILEEP CHANDRA SINGH K M D V P GORAKHPUR
Stamp Duty Paid By	:	RANA DILEEP CHANDRA SINGH K M D V P GORAKHPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	7,200 (Seven Thousand Two Hundred only)

सत्यमेव जयते

IN-UP37360865653909X

Please write or type below this line

R.D.C. S.K.D. Vidhaya Peeth Gorakhpur

PF 0016712465

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

पट्टा - विलेख

मौजा- बलुआ, तप्पा – पचवारा, परगना - हवेली, तहसील - सदर, जिला-गोरखपुर ।
आराजी सं0- 300, 240 व 123
किराया- 60,000/- रू0 वार्षिक
रकबा- 1.0150 हेक्टेयर
स्टाम्प- 7200/- रू0
मूल्यांकन- 3,60,000/-रू0
समय- 29 वर्ष 2 माह

हम कि दिलीप कुमार सिंह पुत्र अगरनाथ सिंह निवासी-बलुआ, पोस्ट–सिहोरवा, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर ।

.........प्रथम पक्ष/पट्टा दाता।

व

राणा दिलीप चन्द्र सिंह समाज सेवा संस्थान ग्राम- जंगल भेलमपुर उर्फ करमौरा, पोस्ट- टिकरिया, जनपद- गोरखपुर (ट्रस्ट/न्यास) द्वारा संचालित "राणा दिलीप चन्द्र सिंह किसमती देवी विद्यापीठ गोरखपुर, बलुआ, सिहोरवा, गोरखपुर" जरिये प्रबन्धक दिलीप कुमार सिंह पुत्र अगरनाथ सिंह निवासी-बलुआ, पोस्ट–सिहोरवा, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर ।

.......द्वितीय पक्ष /पट्टा ग्रहिता ।

विदित हो कि हम मुकिर प्रथम पक्ष का मौजा-बलुआ, तप्पा– पचवारा, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में स्थित आराजी नं0- 300,240 व 123 रकबा- 1.0150 **हेक्टेयर** का मालिक हूँ। जिसका विस्तृत विवरण इस पट्टा विलेख के अन्त में दिया गया है का मालिक व काबिज दखिल हूँ । हम प्रथम पक्ष को पट्टा पर देने व इकरारनामा करने व हर प्रकार का इंतजाम करने का हर कानूनी हक हासिल है। द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर सी0बी0एस0ई0 बोर्ड का स्कूल खोलना चाहते है जिसके तहत द्वितीय पक्ष हम मुकिर प्रथम पक्ष से विद्यालय खोलने हेतु जमीन जैल को जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है को किराये पर लेने के लिए इच्छा जाहिर करते हुए निवेदन किए कि वह अपना उपरोक्त जमीन जैल को जिसमें लगभग तीस कमरे निर्मित है को 29 वर्ष 2 माह के लिए मुबलिग- 60,000/-रू0 (साठ हजार रूपया) वार्षिक किराया पर दे देवे । चूँकि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर विद्यालय संचालित करना चाहते है इसलिए उनके इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए लिए मुबलिग- 60,000/-रू0 (साठ हजार रूपया) वार्षिक किराये पर दे दिया । इस प्रकार पक्षकारों के बीच पट्टा विलेख का शर्ते जो तय हुई उस लेखवद्ध किया जाना आवश्यक है । अस्तु यह विलेख साक्षी है कि –

1. यह कि किरायेदारी की वार्षिक गणना प्रत्येक वित्तिय वर्ष के पहली तारीख से शुरू होकर उसी वित्तिय वर्ष के अन्त तक मानी जायेगी ।
2. यह कि इस विलेख के अन्त वर्णित सम्पत्ति जो इस दस्तावेज के अन्त में दिया गया है तथा जो इस दस्तावेज है अंश है द्वितीय पक्ष को लिए मुबलिग- 60,000/-रू0 (साठ हजार रूपया) वार्षिक किराये पर दिनांक-01/04/2025 से 29 वर्ष 2 माह के लिए किया जाता है ।
3. यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक वित्तिय वर्ष का किराये का धनराशि दूसरे वित्तिय वर्ष के 10 तारीख तक नियमित अदा करते रहेगें ।

4. यह कि द्वितीय पक्ष जैसे भी जिस प्रकार से चाहे प्राथमिक, जूनीयर, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर अथवा किसी भी प्रकार का विद्यालय हिन्दी अथवा अग्रेंजी या दोनो माध्यम या अन्य कोई भी विद्यालय संचालित कर सकता है इसमें हम प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. यह कि प्रथम पक्ष खागनी बाट के अनुसार उक्त रकबा जो कि आराजी नं0- 300, 240 व 123 का अपना हिस्सा एक ही जगह आराजी नं0- 300 पर पाया है और काबिज दखिल है ।

6. यह कि किरायेदारी के समय के दौरान प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष का किरायेदारी वाली सम्पत्ति से बेदखल करने का अधिकार नहीं होगा ।

7. यह कि द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपनी किरायेदारी के दौरान अपने पट्टे के अधिकार को जिस प्रकार से चाहे उसका उपयोग व उपभोग करे । इसमें हम प्रथम पक्ष या प्रथम पक्ष के वारिसान को कोई एतराज न आज है और न ही आईन्दा कभी होगा ।

8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त जमीन जैल पर विद्यालय खोलना है जिसके लिए लिए द्वितीय पक्ष ने सम्बन्धि विभाग में आवेदन किया है यदि किन्ही कारणवश यदि द्वितीय पक्ष को विद्यालय संचालित नहीं होता है तो यह किरायेदारी निरस्त मानी जायेगी ।

9. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त खाली जमीन में बिजली , पानी, साफ- सफाई, रंगाई व पुताई तथा सुरक्षा का व्यवस्था सम्बन्धित विभाग के के शर्तो के अधीन करेगें ।

10. यह कि द्वितीय पक्ष विभागीय नियमानुसार निर्माण करवायेगें जिसका प्रथम पक्ष को को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं रख रखाव का समस्त खर्च द्वितीय पक्ष वहन करेगा ।

11. यह कि पट्टाकर्ता अनुसूचित जाति व जनजाति के नही है व उक्त सम्पत्ति अकृषि भूमि है ।

R.D.C. S.K.D. Vidhaya Peeth
Chitrakoot

विदन सं०: 202500950050450

पट्टा अनुबंध विलेख

ी सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 19199 वर्ष: 2025

नफल- 360000 स्टाम्प शुल्क- 7200 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 3600 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 3660

रा०दि०च०सि० स०से० सं० द्वारा सं० रा०दि०च०सिं०कि० दे० वि० गोरखपुर द्वारा
लीप कुमार सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
। श्री अगरनाथ सिंह
वसाय : अन्य
वासी: आ, पोस्ट-सिहोरवा, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर

. रा०दि०च०सि० स०से० सं० द्वारा सं० रा०दि०च०सिं०कि० दे० वि० गोरखपुर
रा

दिलीप कुमार सिंह अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 13/11/2025 एवं 01:11:20 PM बजे
बंधन हेतु पेश किया।

38095

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रजत श्रेष्ठ प्रभारी
उप निबंधक :सदर प्रथम
गोरखपुर
13/11/2025

रजत श्रेष्ठ कनिष्ठ सहायक
निबंधक लिपिक
13/11/2025

R.D.C. S.K.D. Vidhaya Peeth
Principal
Gorakhpur

https://igrsup.gov.in/igrsup/showEndorsReport_html

12. यह कि द्वितीय पक्ष जिस भी बोर्ड परिषद अथवा परीक्षा संस्था से मान्यता/संबद्धता लेना चाहे ले सकता है इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगा क्योकि द्वितीय पक्ष की मातृ संस्था राणा दिलीप चन्द्र सिंह समाज सेवा संस्थान ग्राम- जंगल भेलमपुर उर्फ करमौरा, पोस्ट- टिकरिया, जनपद- गोरखपुर (ट्रस्ट/न्यास) का प्रथम पक्ष ट्रस्टी प्रबन्धक/ मैनेजिंग/ सचिव है।

अस्तु साक्ष्य स्वरूप यह पट्टा विलेख उभय पक्षों द्वारा खूब सोच समझकर बिला किसी जब्र व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से कर दिया कि वक्त जून पर काम आवे व सनद रहें।

<u>तफसील जायदाद जिसके बावत यह पट्टा विलेख लिखा गया है -</u>

मौजा- बलुआ, तप्पा- पचवारा, परगना - हवेली, तहसील - सदर, जिला-गोरखपुर । आराजी सं0- 300, 240 व 123 रकबा- रकबा- 1.0150 हेक्टेयर भूमि के बाबत यह पट्टा विलेख आज दिनांक- 12.11.2025 को तहरीर किया

<u>जिसका चौहद्दी निम्नवत है –</u>

पूरब - मकान सहखातेदार
पश्चिम - मकान सहखातेदार
उत्तर - मकान सहखातेदार एवं चकमार्ग
दक्षिण - मकान सहखातेदार एवं मुख्य मार्ग

वाजा होवे कि यह किरायेदारी मु0- 60,000/-रू0 वार्षिक है लेहाजा वार्षिक किराये के छः गुना यानि- मु0- 3,60,000/-रू0 पर स्टाम्प व अन्य शुल्क अदा है ।

R.D.C. S.K.D. Vidhaya Peeth
Principal
Chakrour

आवेदन सं०: 202500950050450

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 19199 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री दिलीप कुमार सिंह, |DILEEP KUMAR SINGH

पुत्र श्री अगरनाथ सिंह

निवासी: बलुआ, पोस्ट–सिहोरवा, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 101D

पट्टा गृहीता: 1

श्री रा०दि०च०सि० स०से० सं० द्वारा सं० रा०दि०च०सिं०कि० दे० वि० गोरखपुर के द्वारा दिलीप कुमार सिंह, |DILEEP KUMAR SINGH

पुत्र श्री अगरनाथ सिंह

निवासी: बलुआ, पोस्ट–सिहोरवाँ, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 101D

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रामकेश सिंह, पुत्र श्री नरसिंह

निवासी: फुलवरिया पोस्ट तुर्कवलिया तहसील सदर जिला गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री राजकुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री वशिष्ठ मुनि त्रिपाठी

निवासी: ग्राम व पोस्ट सिहोरवा जिला गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रजत श्रेष्ठ प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर
13/11/2025

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजत श्रेष्ठ कनिष्ठ सहायक
निबंधक लिपिक गोरखपुर
13/11/2025

R.D.C. S.K.D. Vidhaya Peeth Gorakhpur

गवाहान-

1. रामकेश सिंह पुत्र नरसिंह
निवासी फुलवरिया पोस्ट तुर्कवलिया
तहसील सदर जिला गोरखपुर

2. राजकुमार त्रिपाठी पुत्र वशिष्ठ मुनि त्रिपाठी
निवासी ग्राम व पोस्ट सिहोरवा
जिला गोरखपुर

R.D.C. S.K.D. Vidhaya Peeth

प्रारूपकर्ता
संजय कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कोर्ट गोरखपुर
दिनांक- 12.11.2025

आवेदन सं०: 202500950050450

ही संख्या 1 जिल्द संख्या 20911 के पृष्ठ 145 से 156 तक क्रमांक 19199 पर दिनाँक 13/11/2025 को
जिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रजत श्रेष्ठ प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर
13/11/2025

R.D.C. S.K.D. Vidhaya Peeth
Gorakhpur